

प्रेषक

निदेशक
प्रशिक्षण एवं सेवायोजना,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
स्वामी विवेकानन्द औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र,
गठ व पोस्ट सतवाड़ी, जिला मेरठ।

पत्रांक

/टी-3/राज्य/भा.सं.सं.सं.सं.

लखनऊ : दिनांक : 25-11-2009

विषय- स्थायी सभित्त की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केंद्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महाविदेशालय लखनऊ एवं प्रशिक्षण, डी.डी.आई.टी.आई. नई दिल्ली में भवित्त चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपने सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी सभित्त की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30-8-2009 पर दिनांक 28-08-2009 को महाविदेशालय, सेवायोजना एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी सभित्त की उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिसके लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी सम्बन्ध का अनुभव किया गया।	अनुयुक्ति		
		स्थायी सभित्त द्वारा	डी.डी.आई.टी.आई. द्वारा	
1	2	3	4	5
1.	Fitter Addl. One Unit III Staff	-	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	
2.	Electrician Addl. One Unit III Staff	-	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	

DGET-6/24/5/2007-TC DATED 28/08/2009

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एन.डी.आई.आई.टी.आई. स्थायी सभित्त की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एन.डी.आई.आई.टी.आई. पुराना निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी.डी.आई.आई.टी.आई. विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू.डी.आई.आई.टी.आई.
- (5) एन.डी.आई.आई.टी.आई. नहीं किया गया।
- (6) एन.डी.आई.आई.टी.आई. विचार नहीं किया गया।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा पताई गई कनिष्ठ/बुटियों का निराकरण समयान्तगत करके अपनी आख्या विन्दुवार साक्ष्य सहित जो प्रारंभों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें ताकि अधिन कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
भवदीय,

(सहूल देय)

अपर निदेशक (प्रशि/सिद्)

सद्विभाजित

पत्रांक 2973 / टी 3 राज्य/भा.सं.सं.सं./

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संबंधित निदेशक (प्रशि/सिद्) मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विदेश विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केंद्र को भी अपने स्तर से अवगत करवायें।
2. संबंधित संस्थान/केंद्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. मार्ग फाइल हेतु।
4. उप निदेशक व्यावसायिक परीक्षा परिषद अलीगढ़, लखनऊ।

(सहूल देय)
अपर निदेशक (प्रशि/सिद्)

Director
Swami Vivekanand Industrial Training Institute
Vill. & Post Satwari, Meerut